न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/493

1. सूरजमल पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूँगा जिला जयपुर।
2. भरतलाल पुत्र श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूँगा जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तूँगा जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र मूल्या,
3. कालूराम पुत्र मूल्या,
3. विनोद पुत्र मूल्या,
5. कैलाश पुत्र मूल्या,
6. गुलाबदेवी पत्नी मूल्या,
7. पिंकी पुत्री मूल्या समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील बस्सी हाल तहसील तूँगा जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री सचिन शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 05.09.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूँगा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के पिता एवं पति मूल्या ने न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर के समक्ष एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने दिनांक 14.10.2021 को यह निर्णय एवं डिक्री पारित किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 109/10 से 109/19, 109/256, 109/4, 129/841, 134/181, 41/2, 41/3 कुल किता 16 कुल रकबा 3.5659 हैक्टयर स्थित ग्राम श्रीनगर तहसील बस्सी जिला जयपुर में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की भूमि खसरा नम्बर 109/5 एवं उक्त भूमि की सीमा के लगती हुई वादी की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 109/4 स्थित ग्राम श्रीनगर का दो भू–अभिलेख निरीक्षक व चार पटवारियों की संयुक्त टीम बनाकर सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार तूँगा को आदेशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान का खर्चा अपना–अपना वहन करते हुये राजकोष में जमा कराने के पश्चात् उक्त वादगरस्त भूमि का उक्तानुसार 15 दिवस में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

सीमाज्ञान करावें। दोनों पक्षों से सीमाज्ञान का खर्चा राजकोष में जमा कराने पश्चात् उक्त भूमि का उक्तानुसार 15 दिवस में सीमाज्ञान करावें यानिकी न्यायालय द्वारा आदेश खसरा नम्बर 109/4, एवं 109/5 का सीमाज्ञान करने हेतु दिया था लेकिन तहसीलदर तूँगा के नुमांयदों पटवारी व गिरदावार ने न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुये मनमाने रूप से अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही दिनांक 24.06.2022 को विधि के सुस्थाति सिद्धान्तों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित उक्त मौका रिपोर्ट तैयार कर दी जो विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स एवं पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को सूचित किया गया एवं ना ही उन्हे रिपोर्ट तैयार करने से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। ना ही उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 109/5 का सीमाज्ञान किया गया जबकि कानूनी प्रावधानानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधीनस्थ कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ न्यायालय आदेश की पालना में मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करना था। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुये मनमाने रूप से जो अपीलाधीन रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 तैयार की है वह न्यायिक दोष से दूषित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 24.06.2022 को की गई मनमानी कार्यवाही की वजह से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 अपीलान्ट्स के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमियों पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इसलिये न्यायहित में ऐसी अवैध कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.06.2022 को अपीलाधीन निर्णय किया है वह निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों का एवं नियमों का खुलमखुल्ला उल्लंघन करते हुये तैयार की गई। इसलिये विधि व न्यायिक दोष के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 की नकल हेतु दिनांक 28.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जो नकल उसे दिनांक 01.07.2022 को प्राप्त हुई उसके पश्चात् अपीलान्ट ने उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में तहसीलदार तूँगा को शिकायत की गई जिस पर तहसीलदार तूँगा द्वारा काफी दिनों तक कार्यवाही नही की गई तो अपीलान्ट ने दिनांक 13.08.2022 को अपने परिचित अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने उक्त रिपोर्ट को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष चुनौती देने की सलाह दी। उसके उपरान्त अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई एंव अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई वह कानूनी अज्ञानतावश हुई है एवं कानूनी प्रावधानानुसार विधि की

P.T.O.

मंशा के विपरित जाकर तैयार की गई रिपोर्ट एवं आदेश को चुनौती देने की कोई मियाद नही होती है। फिर भी कानूनी अज्ञानतावश अपील पेश करने में जो देरी हुई उसको क्षमा किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तूँगा द्वारा तैयार पत्थरगढ़ी रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के आदेश दिनांक 14.10.2021 की पालना में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की गई है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर के आदेश व डिक्री दिनांक 14.10.2021 द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सीमाज्ञान के आदेश दिये गये है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 द्वारा सीमाज्ञान के साथ साथ पत्थरगढी भी की गई है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2022 को निरस्त किया जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/9/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।